रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2015/श्रावण 29, 1937
No. 282] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2015/SRAVANA 29, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

हैदराबाद, 12 अगस्त, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण) विनियमन, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा. /विनियम /10/100/2015 – *"बीमा अधिनियम, 1938" की धारा 114ए के खंड (जीए) के साथ पठित धारा 14(1)(सी) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा बीमा पॉलिसियों और दावों के अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है :*

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण) विनियमन, 2015 है।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **परिभाषाएँ –**

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) `अधिनियम' से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) `प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) इनमें प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु अधिनियम, अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. **पॉलिसी और दावे अभिलेखों का अनुरक्षण-**

(1) अधिनियम की धारा 14 (1) (क) और 14 (1) (ख) के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता जारी की गई प्रत्येक पॉलिसी का अभिलेख व किये गये प्रत्येक दावे के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा ।

(2) किसी भी अन्य रूप में अनुरक्षण का विचार किये बिना ऐसी पॉलिसियों और दावों के अभिलेख का अनुरक्षण इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी किया जाएगा।

(3) (क) प्रत्येक बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि विनियम 3 के उप विनियम (1) और (2) में उल्लिखित अभिलेख पूर्ण और विशुद्ध होंगे।

(ख) अनुरक्षण की प्रणाली आवश्यक सुरक्षा की विशिष्टताओं से युक्त होगी।

(4) प्रत्येक बीमाकर्ता दोनों प्रत्यक्ष (ऑनसाइट) और अप्रत्यक्ष (ऑफसाइट) निरीक्षणों हेतु विनियम 3 के उप-विनियम (1) और (2) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(5) विनियम 3 के उप-विनियम (1), (2) और (3) में उल्लिखित अभिलेखों का प्रकार और अनुरक्षण बीमाकर्ताओं द्वारा बनाई गई और उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई नीति के अनुसार होगा।

(6) इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में, विनियम 3 के उप-विनियम (5) में उल्लिखित नीति के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगेः

i. अभिलेखों का प्रक्रमण और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुरक्षण,

ii. पॉलिसीधारक और दावे से संबंधित डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा,

iii. वाइरस, संवेदनशीलता की समस्याओं का प्रबंधन,

iv. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा,

v. बैकअप, आपदा से पुनःप्राप्ति और व्यवसाय की निरंतरता तथा

vi. डेटा अभिलेखी।

(7) विनियम 3 के उप-विनियम (5) में उल्लिखित बोर्ड की ऐसी नीति में अभिलेखों के अनुरक्षण और भंडारण के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक विस्तृत योजना भी शामिल होगी। ऐसी समीक्षा का पर्यवेक्षण बीमाकर्ताओं के बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा।

(8) विनियम 3 के उप-विनियम (5) में उल्लिखित बोर्ड की प्रत्येक नीति की समीक्षा वर्ष में एक बार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 90 दिन के अंदर की जाएगी।

(9) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में रखे गये अभिलेखों सहित, भारत में जारी की गई सभी पॉलिसियों और किये गये सभी दावों से संबंधित अभिलेख केवल भारत में स्थित और अनुरक्षित डेटा केन्द्रों में ही रखे जाएँगे।

(10) प्रत्येक बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि धारित अभिलेख इस प्रकार से सुव्यवस्थित रूप में रखे जाएं कि उन्हें यथा अपेक्षित रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके ताकि पॉलिसीधारक की सेवा तथा विभिन्न कानूनों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और समय-समय पर प्रयोज्य ऐसे अन्य विनियामक ढाँचे का अनुपालन करने में सहायता मिल सके।

4. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अनुरक्षण और भंडारण संबंधी नीति दाखिल करनाः

(1) प्रत्येक बीमाकर्ता इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 90 दिन के अंदर ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण और भंडारण के संबंध में अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा।

(2) जहाँ बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसी नीति में संशोधन किया जाता है, वहाँ बोर्ड द्वारा ऐसे संशोधन की तारीख से 30 दिन के अंदर उस संशोधित नीति को प्राधिकरण के पास दाखिल किया जाएगा।

5. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण का अधिकारः

(1) इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिरूपण करने में किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जाने वाले उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

टी. एस. विजयन,अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/ असा.161/15]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 12th August, 2015

IRDAI (Maintenance of Insurance Records) Regulations, 2015

F.No. IRDAI/Reg/10/100/2015 :- In exercise of the powers conferred by section 14 (1)(c) read with clause (ga) of section 114A of "The Insurance Act, 1938" and sub-section (1) of Section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations for maintenance of records of Insurance Policies and Claims:

1. Short title and commencement :

(1) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Maintenance of Insurance Records) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :

In these regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time;

(b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of sub-section 1 of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;

(c) All words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or in any Rules or Regulations made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

3. **Maintenance of Policy and Claims records :**

(1) Every insurer shall maintain a record of every policy issued and a record of every claim made as per section 14 (1) (a) and 14 (1) (b) of the Act.

(2) Record of such policies and claims shall also be maintained in electronic form irrespective of maintenance in any other form.

(3) (a) Every Insurer shall ensure that the records referred in sub regulation (1) and (2) of regulation 3 shall be complete and accurate.

(b) The system of maintenance shall have necessary security features.

(4) Every Insurer shall provide access of records referred in sub regulation (1) and (2) of regulation 3 to the Authority for both onsite and offsite inspections.

(5) The manner and maintenance of the records referred in sub-regulation (1), (2) and (3) of regulation 3 shall be as per policy framed by the insurers and approved by their board.

(6) With regard to the maintenance of records in electronic form, the policy referred in sub-regulation (5) of regulation 3 shall inter alia include the following:

i. Processing and electronic maintenance of records,

ii. Privacy and security of policyholder and claim data,

iii. Handling Virus, Vulnerability issues,

iv. Security of Hardware and Software,

v. Backups, Disaster Recovery and Business Continuity and

vi. Data Archival.

(7) Such policy of the Board referred in sub-regulation (5) of regulation 3 shall also include a detailed plan to review the implementation of the maintenance and storage of records. Such review will be overseen by the Risk Management Committee of the Board of the Insurers.

(8) Every policy of the Board referred in sub-regulation (5) of regulation 3 shall be reviewed once in a year within 90 days from the expiry of the financial year.

(9) The records including those held in electronic mode, pertaining to all the policies issued and all claims made in India shall be held in data centres located and maintained in India only.

(10) Every insurer shall ensure that the records held are organized in such a manner as may be required for business use and easy retrieval so as to support policyholder service and compliance with the various laws, regulations, circulars, guidelines and such other regulatory framework as applicable from time to time.

4. **Filing of policy on maintenance and storage of electronic records**:

(1) Every insurer shall within 90 days from the date of notification of these regulations, file with the Authority, their board approved policy on maintenance and storage of such records.

(2) Where such a Board approved policy is modified, the same shall be filed with the Authority, within 30 days from the date of such modification by the board.

5. Power of the Authority to issue clarifications etc:

(1) In order to remove any doubts or difficulties in application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/ Exty /161/15]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.